

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00/97

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्रीमती रीमा भाटिया पति रमेश भाटिया
जाति घांची
निवासी पिण्डवाड़ा व अन्य 1।

सरकार जरिये तहरीदार
पिण्डवाड़ा व अन्य 2

किरम मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 15 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
24.08.2020	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र उपतहसीलदार भावरी के मुकदमा संख्या 163/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.09.2020 को पेश हो।</p> <p>जिला कलक्टर, सिरौही</p>	
2-9-20	<p>डिफेंडेंट 1-9-20 को अवकाश होने से पत्रावली आज पत्रावली पेश हुई। कलक्टर मधे जो धातु पधारें हैं। पत्रावली डिफेंडेंट 15-9-20 को पेश हो।</p>	
15.09.2020	<p>अपीलांत अधिवक्ता एवं परोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.09.2020 को पेश हो।</p> <p>जिला कलक्टर, सिरौही</p>	
22.09.2020	<p>अपीलांत अधिवक्ता एवं परोकार सरकार उपस्थित। अपीलांत द्वारा अपील पेश करने में हुई विलम्ब की अवधि सद्भावना पूर्ण होने से कन्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही
फर्द अहकाम